

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

आदेश ।

पटना, दिनांक- 27-3-09

संख्या-1/सम0-1078/95- 169 / विभागीय कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु आकस्मिक मद से व्यय के लिए शक्तियों को निम्नांकित रूप से प्रत्यायोजित किया जाता है -

- 1- 5,000/-रुपये [पाँच हजार रुपये] तक की शक्तियाँ - अवर सचिव को
- 2- 5,000/-रुपये [पन्द्रह हजार रुपये] तक की शक्तियाँ । - उप सचिव [स्थापना, मुख्यालय] को ।
- 3- 25,000/-रुपये [पच्चीस हजार रुपये] तक की शक्तियाँ । - अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव को ।
- 4- 25,000/-रुपये [पच्चीस हजार रुपये] से उमर की शक्तियाँ । - विभागीय सचिव को

उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग स्टेशनरी के क्रय, विभिन्न सामग्रियों, ईंधन एवं कार मरम्मत, कोर्ट केस, दूरभाष, मोबाइल, कम्प्यूटर सामग्री, विद्युत विपन्न, जलापूर्ति से सम्बन्धी विपन्न तथा शेरों में दिए जा रहे चाय नश्वता के विपन्न पारित करने के लिए भी किया जायेगा ।

इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

*27/3/09*  
[रामाशीष पासवान]  
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापक-1/सम0-1078/95- 170 पटना, दिनांक- 27-3-09  
प्रतिलिपि प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/उप सचिव  
[मुख्यालय स्थापना]/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, लोक  
स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

*27/3/09*  
[रामाशीष पासवान]  
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापक-1/सम0-1078/95- 170 पटना, दिनांक- 27-3-09  
प्रतिलिपि माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण  
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

*27/3/09*  
[रामाशीष पासवान]  
सरकार के उप सचिव ।

*27/3*